

“जिज्ञेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक/  
छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 407 ]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 5 सितम्बर 2013—भाद्र 14, शक 1935

खाद्य, नागरिक औपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-6/2013/29/खाद्य-2.—छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, 05-09-2013 के रूप में वह तिथि विनिर्दिष्ट करती है, जिससे उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के प्रावधान प्रवृत्त होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विकास शील, सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 10-6/2013/29/खाद्य-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05 सितम्बर, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विकास शील, सचिव.

Raipur, the 5th September 2013

## NOTIFICATION

No. F 10-6/2013/29/Food-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Chhattisgarh Food Security Act, 2012 (No. 5 of 2013), the State Government, hereby, Specifies 05-09-2013 as the date from which the provision of clause (b) of sub-section (1) of Section 5 of the said Act shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
VIKAS SHEEL, Secretary.

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2013

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-6/2013/29/खाद्य-2.—छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) सहपठित धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, 05-09-2013 के रूप में वह तिथि विनिर्दिष्ट करती है, जिससे शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों, स्थानीय निकाय एवं शासन द्वारा संचालित कक्षा आठवीं तक के सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रतिदिन नि:शुल्क मध्याह्न भोजन प्रदाय किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विकास शील, सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 10-6/2013/29/खाद्य-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05 सितम्बर, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विकास शील, सचिव.

Raipur, the 5th September 2013

## NOTIFICATION

No. F 10-6/2013/29/Food-2.—In exercise of the powers conferred by Section 13 read with clause (b) of sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Food Security Act, 2012 (No. 5 of 2013), the State Government, hereby, Specifies 05-09-2013 as the date from which one mid day meal, free of charge shall be provided to students in all schools run by local bodies, Government and Government aided schools, up to class VIII.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
VIKAS SHEEL, Secretary.

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2013

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-6/2013/29/खाद्य-2.—छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, सचिव, स्कूल शिक्षा को नीचे उल्लिखित विषयों से संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्देशित करती है, अर्थात् :—

1. छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) से संबंधित प्रावधानों का निष्पादन.
2. धारा 5 की उप-धारा (2) में दिये गये प्रावधानों का निष्पादन.
3. धारा 13 के खण्ड (ग) में उपबंधित अनुसार कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क मध्याह्न भोजन प्रदाय करने की अधिसूचित योजना का क्रियान्वयन.
4. धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख), धारा 5 की उप-धारा (2) एवं धारा 13 के खण्ड (ग) में उपबंधित प्रावधानों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना.
5. छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 के प्रयोजन के लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय को सुनिश्चित करना.
6. छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 की धारा 32 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करना.
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विकास शील, सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 10-6/2013/29/खाद्य-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05 सितम्बर, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विकास शील, सचिव.

Raipur, the 5th September 2013

## NOTIFICATION

No. F 10-6/2013/29/Food-2.—In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Chhattisgarh Food Security Act, 2012 (No. 5 of 2013), the State Government, hereby, directs the Secretary, School Education, to exercise the powers exercisable by the State Government in relation to the below mentioned subject matters :—

1. Execution of provision relating to clause (b) of sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Food Security Act, 2012.
2. Execution of provision given in sub-section 2 of Section 5.

3. Implementation of notified scheme to provide mid day meal, free of charge, to students up to class VIII as provided in clause (c) of Section 13.
4. Establishment of internal grievance redressal mechanism to ensure implementation provision provide in clause (b) of sub-section (1) of Section 5, sub-section (2) of Section 5 and clause (c) of Section 13.
5. Ensuring coordination with other Departments for the purpose of the Chhattisgarh Food Security Act, 2012.
6. Ensuring compliance with the direction issued by the State Government under Section 32 of the Chhattisgarh Food Security Act, 2012.
7. Ensuring implementation of the orders issued by the State Government from time to time.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
VIKAS SHEEL, Secretary.